tation has recently been received alleging that the selection of SC/ST candidates for Group D posts in Khurdha Road Division was not fair and judicious. The matter is being investigated and appropriate remedial action, if any, will be taken after completion of investigation.

Schedule for completing Mangalore-Shoranoor Doubling Rail Track

403. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state what is the schedule for completing the ongoing work of the Mengalore-Shoranoor doubling track and by when it is likely to be completed?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES) : There is no proposal for doubling of track between Shoranoor and Mangalore at present.

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तहसीलदार द्वारा विभिन्न जातियों के लोगों को अनुसूचित जनजातियों के प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

404. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की तहसील सरधना के तहसीलदार द्वारा कुम्हार, गडरिया, अहीर जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को अनुसूचित जनजातियों के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं और इस प्रकार यह इस संबंध में सरकार के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक जारी किए गए ऐसे प्रमाण पत्रों की कुल संख्या कितनी है तथा उन व्यक्तियों का नाम पता और ब्यौरा क्या है जिन्हें ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस मामले की जांच कराने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) सूचना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है ।

Introduction of super-fast passenger train between Delhi and Howrah

405. SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to introduce a superfast passenger train in view of the tremendous increase in passenger traffic in Howrah-Delhi/New Delhi section;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) No, Sir. However, frequency of A.C. Express was increased from 5 days to 7 days from May'89.

(b) Does not arise.

(c) Not feasible presently due to operational and resource constraints.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विशेष आयुक्त आर०के० पुरम, नई दिल्ली कार्यालय में गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

406. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के आर०के० पुरम नई दिल्ली स्थित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विशेष आयुक्त के कार्यालय में गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आयुक्त

जैसे अधिकांश उच्च पदों पर नियुक्त किया गया है ; यदि हां, तो उनके नाम, पद तथा पतों सहित ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विभाग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है तथा ऐसे कौन-कौन से विभाग हैं जिन्होंने इस कार्यवाही पर अमल किया है तथा उस कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार भविष्य में उक्त कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नियुक्त करने तथा उन्हें विशेष शक्तियां प्रदान करने का विचार रखती है ; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार इन जातियों का उत्साह बढ़ाने के लिए इन जातियों के कल्याण हेतु विशेष आयुक्त को विशेष शक्तियां प्रदान करने का विचार रखती है ताकि वे न्याय प्राप्त कर सकें ; यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कार्यालय में अधिकारियों के नाम और पदनाम इस प्रकार हैं :—

1. डा० वी० डी० शर्मा, विशेष अधिकारी तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त ।

2. श्री आर० पी० कपिला, अनुसूचित जनजाति विशेष आयुक्त, और

3. श्री एल.एन. गुप्ता, अनुसूचित जाति विशेष आयुक्त ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त कार्यालय में उपायुक्त के दो पद हैं जिनमें से एक रिक्त है तथा एक अन्य पर अनुसूचित जाति सदस्य कार्य कर रहा है ।

आयुक्त तथा विशेष आयुक्तों द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त अनेक शिकायतें संबंधित विभागों/एजेंसियों को भेजी जा रही है । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट में, की गई कार्रवाई के परिणाम मोटे तौर पर दिए गए हैं ।

संविधान के अनुछेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । विशेष आयुक्तों की तैनाती कार्मिक विभाग द्वारा की जाती है । अन्य अधिकारी कल्याण मंत्रालय द्वारा तैनात किए जाते हैं ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय में केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को तैनात करने की सरकार की नीति नहीं है । तथापि, विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त अधिकारियों की तैनाती का ध्यान रखा जाता है ।

NDDB's Technical Cooperation with the FAO

407. SHRI KAMAL MORARKA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether any agreement has been signed by Government with the Food and Agriculture Organisation concerning technical co-operation with the National Dairy Development Board ; and

(b) if so, the terms and conditions thereof ?